रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I— खण्ड 1
PART I—section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 08, 2014/पौष 18, 1935
No. 09] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 08, 2014/PAUSHA 18, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2014

सं. 46 (आर.ई. 2013)/2009–2014

विषयः– अन्य पक्ष निर्यातों के संबंध में लाभों का दावा करने हेतु ईडीआई प्रक्रिया।

फा.सं. 01/93/180/40/एएम 14/पीसी 2(ख).– विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से, ईडीआई प्रणाली के तहत अन्य पक्ष निर्यातों के लाभ का दावा करने हेतु एवं मुद्राओं को अमेरिकी डालर में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–I 2009–14 में निम्न प्रकार से दो नए पैराग्राफ 9.14 और 9.15 शामिल करते हैं:

2. ये दो नए पैराग्राफ 9.14 और 9.15 निम्न प्रकार होंगेः

"**9.14** अन्य पक्ष निर्यातों के संबंध में ईडीआई प्रणाली के तहत लाभों का दावा करने केलिए, प्रथम पक्ष द्वारा प्रक्रिया आंरभ की जाएगी जो शिपिंग बिलों तथा बीआरसी को भंडार से जोड़ेगा। यदि प्रथम पक्ष किसी विशेष शिपिंग बिल मद/मदों के लिए लाभ का दावा न करने का फैसला करता है तो वह ऐसे शिपिंग बिल की मद/मदों के लिए लाभ का दावा करने हेतु अन्य पक्ष को प्राधिकृत कर सकता है। प्रथम पक्ष द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किए जाने के पश्चात अन्य पक्ष शिपिंग बिल की मद/मदों का उपयोग कर सकेगा।"

"**9.15 (क) मुद्राएं, जिनके मामले में सीबीईसी द्वारा विनिमय दरें अधिसूचित की जाती हैं**

प्राप्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा (जैसा कि बैंक द्वारा ई–बी आर सी में उल्लेख किया गया हो) को सीबीईसी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मासिक विनिमय दरों का प्रयोग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है।

(ख) मुद्राएं, जिनके मामले में सीबीईसी द्वारा विनिमय दरें अधिसूचित नहीं की जाती हैं

ऐसे मामलों में, भारतीय रुपये में प्राप्त किए गए कुल मूल्य (जैसा कि बैंक द्वारा ईबीआरसी में उल्लेख किया गया हो) को प्राप्त किए जाने की तारीख पर मौजूदा अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपये की विनिमय दर जो सीबीईसी द्वारा प्रकाशित की गई हो, का प्रयोग करते हुए अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाएगा।"

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:–ईडीआई प्रणाली के तहत अन्य पक्ष निर्यातों के संबंध में लाभों का दावा करने की प्रक्रिया और मुद्राओं को परिवर्तित करने हेतु दिशानिर्देश प्रकाशित किए जा रहे हैं।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th January, 2014

No. 46 (RE- 2013)/2009-2014

Subject: EDI Procedure for claiming benefits in respect of Third Party exports.

F.No.01/93/180/40/AM-14/PC-2(B).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, the Director General of Foreign Trade hereby introduces two new Paragraphs 9.14 & 9.15 in the Handbook of Procedures (Vol. I) 2009-14 for claiming benefit of Third Party exports under EDI system and for conversion of currencies into US $ with immediate effect as under:

2. These two new Paras 9.14 & 9.15 would read as under:

"9.14 *For claiming benefits under EDI system in respect of Third Party exports the process will be initiated by the First Party who will link shipping bills and BRCs to repository. If the First Party chooses not to claim benefit for a particular shipping bill item/s, it may authorize Third Party to claim benefit for such shipping bill item/s. After such authorization by First party, Third Party will be able to utilize the shipping bill item/s in its application".*

"9.15 (a) Currencies, where Exchange rates are notified by CBEC

The foreign exchange realized (as mentioned by bank in the eBRC) is converted to Indian Rupee (INR) using the monthly exchange rates published by CBEC.

(b) Currencies, where Exchange rates are not notified by CBEC

In such cases, total realized value in INR (as mentioned by bank in the eBRC), will be converted into US $ by using the US $ /INR exchange rate prevailing on the date of realization as published by CBEC."

Effect of the Public Notice: A procedure for claiming of benefits in respect of Third Party exports under EDI system and a guideline for conversion of currencies are being published.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.